



# COVID-19: NSW में घरेलू और क्लोज़ कांटेक्ट्स (करीबी संपर्कों) के लिए नए नियम

यदि आप एक घरेलू या क्लोज़ कांटेक्ट (करीबी संपर्क) हैं और आपको COVID-19 के कोई लक्षण नहीं हैं, तो आपके लिए सेल्फ-आइसोलेट (आत्म-एकांतवास) करना ज़रूरी नहीं है परन्तु NSW Health के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना ज़रूरी है:

- अस्तपालों और एज्ड केयर (वयोवृद्ध देखभाल) केन्द्रों जैसे उच्च-खतरे वाले स्थानों पर न जाएँ
- जहाँ संभव हो घर से काम या पढ़ाई करें। यदि आपको काम या स्कूल पर जाने की ज़रूरत हो तो आपको अपने रोज़गारदाता या शिक्षा केन्द्र से अनुमति लेनी होगी
- यदि आपकी आयु 12 साल से अधिक है तो इंडोर क्षेत्रों में मास्क पहनें। आपको अपने घर के अंदर मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है
- जिन लोगों के साथ आप रहते/रहती नहीं हैं उनके साथ बड़ी या भीड़भाड़ वाली इंडोर सभाओं में जाने से बचें। यदि आपको जाना पड़े, तो जाने से पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट करें

आपके घर-परिवार में किसी व्यक्ति का पिछली बार COVID-19 के लिए टेस्ट परिणाम पॉज़िटिव आने के बाद से 7 दिनों के लिए नियमों का पालन करें।

यदि आपको लक्षण हैं या विकसित होते हैं, तो यह ज़रूरी है कि आप एकांतवास करें और COVID-19 के लिए टेस्ट करवाएँ। यदि आपका टेस्ट परिणाम पॉज़िटिव आता है तो NSW हेल्थ की सलाह की पालना करें।

यदि आपका टेस्ट परिणाम नेगेटिव आता है, तो तब तक घर पर रहें जब तक आपके लक्षण दूर नहीं हो जाते हैं।

और अधिक जानकारी के लिए

[www.nsw.gov.au/covid-19/management/household-contacts](http://www.nsw.gov.au/covid-19/management/household-contacts) देखें।